न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 57/2024

1. कौशल्या देवी पत्नी निकुराम
2. बंतो देवी पत्नी निकुराम
3. हरीशचन्द्र पुत्र निकुराम
4. रेणूबाला पुत्री निकुराम

} जाति जाट साकिन उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. कृष्णलाल } पुत्रगण दुलीचन्द
2. मैनपाल
3. रामप्यारी पत्नी दुलीचन्द
4. कृष्णलाल } पुत्रगण मनफुल
5. कालूराम
6. भूराराम
7. हनुमान
8. मींरा पत्नी मनफुल
9. मंशाराम पुत्र हरजीराम

} जाति मेघवाल साकिन उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।

प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क काश्तकारी अधिनियम रास्ता स्वीकृती बाबत

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदन लाल पारीक — प्रार्थीगण
2. श्री जगराज सिंह भारी — अप्रार्थी सं. 1 ता 9
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी सं. 10

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 27.10.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 2[illegible] राजस्व रास्ता बाबत प्रस्तुत किया गया है। मूल प्रार्थना पत्र के तथ्य नि[illegible] है– यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है [illegible] में अंकित है। यह कि प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि तहसील [illegible] के खाता सं. 65[illegible] के प.नं. 19/208 (52) किला नं. 2/1 ता 9, 12 ता [illegible]5 की 3.036 हैक, [illegible] खाला खातेदारी मुताबिक हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:04 IST
Reason: Self Attested

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 9 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 युएमडब्ल्यू के खाता सं. 80/79 के प.नं. 19/208 (52) किला नं. 16/1 ता 25/3, प.नं. 19/209 (62) किला नं. 1 ता 12 की कुल 5.566 हैक. नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी मुताबिक हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलंन है।

यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 4 युएमडब्ल्यू के प.नं. 19/208 (52) की भूमि के दक्षिण दिशा में किला नं. 21 ता 25 में पूर्व से पश्चिम प्रत्येक में 0.038 हैक. रास्ता की भूमि है जिसमें पक्की सड़क बनी हुई है जो गांव उमेवाला से कुम्हांरावाली ढ़ाणी को जाती है। इस प.नं. 19/208 के किला नं. 1 से 5, 6, 15, 16, 25 में गैर मुमकिन खाला है।

यह कि प्रार्थीगण अपने गांव उमेवाला से अपनी कृषि भूमि प्रार्थना पत्र में 2 में वर्णित अपनी कृषि भूमि 3.036 हैक. कृषि भूमि में इस पक्की सड़क से होकर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 के नाम दर्ज चक 4 युएमडब्ल्यू के प.नं. 19/208 (52) किला नं. 16 व 25 से खाला की भूमि के साथ साथ अपनी भूमि में प्रवेश करते है। इस प.नं. 19/208 किला नं. 21 ता 25 में पक्की सड़क है। इस पक्की सड़क से किला नं. 16 व 25 के पूर्व दिशा में 0.013 हैक. प्रत्येक में उतर से दक्षिण रास्ता चालू है। इस रास्ता से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आना जाना कर रहे है। किला नं. 25 में चालू रास्ता सड़क से नीचा है जहां प्रार्थीगण ने मिटटी डालकर उसे लेवल किया है, किला नं. 16 में अप्रार्थीगण द्वारा आड़ बनाई हुई है जो स्वीकृत नही है। इस आड़ के उपर हम प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये पुलिया बनाई हुई है।

यह कि इस प्रशनगत किला नं. 16 व 25 में चालू रास्ता के बदले हमनें अप्रार्थीगण को उनकी पूर्व से पश्चिम भूमि दे रखी है जो वे काश्त कर भूमि के चिपती ही किला नं. 12 ता 14 रहे है। हम प्रार्थीगण इस रास्ता का काफी वर्षो से अपनी कृषि भूमि में आने जाने में उपयोग कर रहे है। मौका पर भी यह रास्ता चालू है। इस रास्ता के अलावा हमारे पास अन्य कोई रास्ता चालू व स्वीकृत नही है। अप्रार्थीगण ने अब बिना किसी कारण के इस चालू रास्ता को रोकने व इसमें बाधा उत्पन करने के उद्देश्य से किला नं. 16 में आड़ के उपर बनाई गई पुलिया को क्षति पहुंचाई है व इसके कुछ भाग को तोड़ दिया है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 द्वारा किये जा रहे इस अवैधानिक व नाजायज कृत्य से प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का रास्ता अवरूद्व हो जायेगा तथा प्रार्थीगण की भूमि में खड़ी फसल नष्ट हो जायेगी। प्रार्थीगण को इस रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिये वे इस रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहते है और इसके बदले में किला नं. 12 ता 14 में इतनी ही भूमि अप्रार्थीगण को देने के लिये तैयार है।

यह कि अप्रार्थी सं. 10 जो कि भू धारक है जिनकी मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत होना है तथा इस स्वीकृत रास्ता का अकंन भी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 10 के द्वारा ही किया जाना है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है।यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से चक 4 युएमडब्ल्यू के प.नं. 19/208 (52) किला नं. 16 व 25 के पूर्व दिशा में प्रत्येक में 0.013 हैक. रास्ता उत्तर से दक्षिण सड़क तक स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अकंन किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:04 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता हाजिर आये जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है जबाब

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 4 ता 8 की और से निम्न प्रकार से है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पंजीकृत पता से सम्बधित है जो जबाब की मोहताज नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये चक 4 युएमडब्ल्यू के प.नं. 18/208 (51) के किला नं. 15, 16, 25 बजानिब पूर्व दिशा व किला नं.6 के कॉर्नर से होते हुए प.नं. 19/208 (52) के किला नं. 10 के बजानिब दक्षिण दिशा से होकर अपनी कृषि भूमि में आना जाना करते है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है व प्रार्थीगण के लिये सुविधाजनक रास्ता है क्योंकि प्रार्थीगण ने अपने परिवार से वरक्त खाता विभाजन करवाते समय चक 4 युएमडब्ल्यू के प.नं. 18/208 (51) किला नं. 15, 16, 25 व 6 के कॉर्नर में रास्ता आवागमन हेतू पारिवारीक समझौते से रास्ता छोड़ा गया था जो मौका पर चालू है व उक्त रास्ता से ही प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आना जाना करते है, किला नं. 16 में पानी सिचांई हेतू नाका स्वीकृत है, पानी सिचांई हेतू किला नं. 16 में नाका स्वीकृत होने के कारण किला नं. 16 में प्रवेश करने हेतू अप्रार्थीगण द्वारा अपनी सुविधा के लिये किला नं. 16 व 25 के बीच में पुलिया का निर्माण किया है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में नया रास्ता स्वीकृत करवाने के हकदार नही है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण से बेवजह रजिंश रखते है व इसी रजिंश के चलते मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज के है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह कहना कि रास्ता की एवज में अप्रार्थीगण को कृषि भूमि दे रखी है व अप्रार्थीगण उस कृषि भूमि को काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता बताया गया है वह रास्ता कभी चालू नही रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि में ही कभी कभी आने जाने के लिये प्रयोग करते है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 अस्वीकार है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 ता 3, 9 की और से निम्न प्रकार से है – यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पंजीकृत पता से सम्बधित है जो जबाब की मोहताज नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये चक 4 युएमडब्ल्यू के प.नं. 18 / 208 (51) के किला नं. 15, 16, 25 बजानिब पूर्व दिशा व किला नं.6 के कॉर्नर से होते हुए प.नं. 19/208 (52) के किला नं. 10 के बजानिब दक्षिण दिशा से होकर अपनी कृ षि भूमि में आना जाना करते है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है व प्रार्थीगण के लिये सुविधाजनक रास्ता है क्योंकि प्रार्थीगण ने अपने परिवार से वरक्त खाता विभाजन करवाते समय चक 4 युएमडब्ल्यू के प.नं. 18/208 (51) किला नं. 15, 16, 25 व 6 के कॉर्नर में रास्ता आवागमन हेतू पारिवारीक समझौते से रास्ता छोड़ा गया था जो मौका पर चालू है व उक्त रास्ता से ही प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आना जाना करते है, किला नं. 16 में पानी सिचांई हेतू नाका स्वीकृत है, पानी सिचांई हेतू किला नं. 16 में नाका स्वीकृत होने के कारण किला नं. 16 में प्रवेश करने हेतू अप्रार्थीगण द्वारा अपनी सुविधा के लिये किला नं. 16 व 25 के बीच में पुलिया का निर्माण किया है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में नया रास्ता स्वीकृत करवाने के हकदार नही है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण से बेवजह रजिंश रखते है व

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

इसी रंजिश के चलते मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काविल खारिज के है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह कहना कि रास्ता की एवज में अप्रार्थीगण को कृषि भूमि दे रखी है व अप्रार्थीगण उस कृषि भूमि को काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता बताया गया है वह रास्ता कभी चालू नही रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि में ही कभी कभी आने जाने के लिये प्रयोग करते है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है व ना ही प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिज के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त पत्रांक 648 दिनांक 30.07.25 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार –प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता में मौके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उरा भूमि में पूर्व में भी कोई अन्य स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं लगता हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई कम दूरी का रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि चाहा गया रास्ता मौका पर चालू है स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि तहसीलदार रिपोर्ट अत्यधिक जल्दीबाजी में तैयार की गई है। रास्ता पूर्व में जिस से प्रार्थीगण आना जाना कर रहे थे वह स्वीकृत की जावे। प्रार्थना पत्र पर आपत्ति जाहिर करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा रास्ता के क्षतिपूर्ती हेतु भूमि के बदले भूमि देने हेतु कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया इस लिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने हेतु निवेदन किया गया।

तहसीलदार रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता में मौके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में भी कोई अन्य स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं लगता हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई कम दूरी का रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) स्वीकार किया जाना न्यायोचित है इस लिए चक 4 युएमडब्ल्यू के प.नं. 19/208 (52) किला नं. 16 व 25 के पूर्व दिशा में प्रत्येक में 0.013 हैक. रास्ता उतर से दक्षिण सड़क तक स्वीकृत कर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर के रूप में राज पत्र सितम्बर 06, 2023 विधि विभाग ग्रुप–2 अधिसूचना राजस्थान अधिनियम 2 के क्रम संख्या 3 में 1955 के राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम धारा 3 के 251 का संशोधन कर मूल अधिनियम की धारा 251–क की उपधारा 1 के तहत प्रतिकर के संदाय की एवज में अप्रार्थी की भूमि के लगती हुई भूमि के समान अन्तरण किये जाने के तहत प्रार्थीगण के नाम चक 4 युएमडब्ल्यू के प.नं. 19/208 (52) किला नं. 12–13–14 की दक्षिण दिशा में 0.026 हैक. अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाकर न्यायालय का स्थगना ओदश न होने की स्थिति में रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमलदारामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 27/10/2025 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:04 IST
Reason: SelfAttested